


16.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी मनीष शर्मा द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्तागण के निवेदन पर पत्रावली मे सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है। डिक्री की पालना मे पत्र जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक प्रशासक
पत्रावली अधिकारी
हनुमानगढ़

